

न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला-अशोकनगर
(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर 235103002162011

दांडिक प्रकरण क.-437 / 11

संस्थापित दिनांक-21.09.11

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।अभियोजन
विरुद्ध
01-उमकार सिंह पुत्र भैयालाल ठाकुर उम्र 33 साल 02-रामसिंह पुत्र भैयालाल ठाकुर उम्र 27 साल 03-किशोरसिंह पुत्र भैयालाल ठाकुर उम्र 24 साल समस्त निवासीगण कतियापुरा प्राणपुर।आरोपीगण
राज्य द्वारा :- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.। आरोपीगण द्वारा :- श्री अंशुल श्रीवास्तव अधिवक्ता।

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 11.05.2017 को घोषित)

01- आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 324, 323, 504, 325 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02— प्रकरण में आरोपीगण की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी धनसिंह ठाकुर ने दिनांक 26.06.11 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि घटना दिनांक को 6 बजे करीब सुबह की बात है कि उसका गाय बछड़ा पानी गिरने से पड़ोसी उमकार ठाकुर के मकान में घुस गया था। इसी बात को लेकर उमकार ठाकुर, रामसिंह ठाकुर, किशोर ठाकुर तीनों भाई उसे गालियां देने लगे। तब जब उसने गाली देने से मना किया और कहा कि बछड़ा समझता नहीं है, जानवर है तो तीनों आरोपीगण झूमाझटकी कर उसकी मारपीट करने चैंट गए। उमकार ने उसकी लाठी से मारपीट की जिससे उसे चोटें आईं तथा किशोर ने भी उसकी मारपीट की। उसका भाई कमलसिंह उसे बचाने आया तो रामसिंह ने कमलसिंह के मुंह पर काट खाया तथा लाठी से मारा जिससे उसे चोट आई। मारपीट करने पर जब उसने मना किया तो उमकार ने उसके मुंह पर एक मुक्का मारा जिससे उसका उपर का एक दांत गिर गया। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 360/11 के अंतर्गत भादवि की धारा 324, 323, 504, 34 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04— प्रकरण में आरोपीगण के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 323/34, 324/34, 325/34 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण किया गया तथा आरोपीगण ने बचाव साक्ष्य देना व्यक्त किया।

05— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 24.06.11 को समय सुबह 6 बजे ग्राम मुरादपुर में फरियादी धनसिंह के मकान के सामने सामान्य आशय के

अग्रसरण में उसकी एवं उसके भाई कमलसिंह की मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की ?

2. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी कमलसिंह को दांतों से काटकर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की ?
3. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर सामान्य आशय के अग्रसरण में उसके मुंह पर मुक्का मारकर उसका दांत तोड़कर घोर उपहति कारित की ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

06— प्रकरण में अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य आपस में संशक्त एवं अंतर्वलित है। अतः ऐसी स्थिति में साक्ष्य की पुनरावृत्ति के दोषनिवारणार्थ विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 लगायत 03 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 धनसिंह, अ.सा. 02 शंकर सिंह, अ.सा. 03 डॉ एस पी सिद्धार्थ, अ.सा. 04 नरेंद्र सिंह रघुवंशी, अ.सा. 05 पहारीबाई राजपूत, अ.सा. 06 कमल सिंह, अ.सा. 07 प्रेमनारायण की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है। आरोपीगण की ओर से कोई बचाव साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है।

07— अभियोजन साक्षी 01 धनसिंह ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपीगण को जानता है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को उसके दरवाजे पर गाय का छोटा बच्चा खड़ा था और जब उसने कहा कि बछड़ा बांध दें तब आरोपी ओमकार आया और उसे लठ से मार दिया था। उक्त साक्षी के अनुसार आरोपी के भाई भी आए थे और उन्होंने भी उसे लाठी से मारा था जिससे उसका दांत टूट गया था। उक्त साक्षी के अनुसार आरोपीगण मारने की धमकी दे रहे थे। अ.सा. 01 के अनुसार उसने घटना की रिपोर्ट प्रपी 01 लेखबद्ध कराई थी। उक्त साक्षी ने अपने कथन में

बताया है कि उसने तीनों आरोपीगण को मारते देखा था, तीनों एक-एक लाठी लिए हुए थे। उक्त साक्षी के अनुसार उसे बाद में जानकारी लगी थी कि कमलसिंह के हाथ में काट लिया था तथा उसका भी एक दांत टूटा था। उक्त साक्षी के अनुसार कमलसिंह घर पर था तथा वह बेहोश हो गया था, इसलिए उसे नहीं पता कि कमलसिंह के साथ क्या हुआ था। अ.सा. 02 शंकर सिंह ने अपने कथन में बताया है कि उसने देखा था कि धनसिंह को ओमकार ने दोनों हाथों से पकड़कर रखा था तथा अन्य आरोपीगण लाठी से धनसिंह के हाथों व पैरों में मार रहे थे। उक्त साक्षी के अनुसार ओमकार ने धनसिंह को घूसा मारा था जिससे उसका दांत टूट गया था। उक्त साक्षी के अनुसार तीनों आरोपीगण ने धनसिंह के मारपीट की थी और ओमकार के दांत तोड़े थे। अ.सा. 06 कमलसिंह ने अपने कथन में बताया है कि घटना दिनांक को वह अपने घर के अंदर सो रहा था और जब झगड़े की आवाज सुनकर बाहर आया तो उसने देखा कि आरोपीगण धनसिंह को पकड़े हुए थे एवं मार रहे थे जिससे धनसिंह का दांत टूट गया था। उक्त साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया है कि रामसिंह ने उसके बाएं कंधे में मुंह से काट लिया था तथा दाएं कंधे में लाठी से मारा था। उक्त साक्षी के अनुसार ओमकार सिंह ने भी धनसिंह को डंडे से मारा था।

08— अ.सा. 05 पहारीबाई पक्षद्रोही हो गई है तथा उक्त साक्षी ने घटना की कोई जानकारी होने से इंकार किया है। उक्त साक्षी ने अभियोजन द्वारा पूछे गए सूचक प्रश्नों एवं सुझावों से इंकार किया है। अ.सा. 03 डॉ एस पी सिद्धार्थ जो कि मेडिकल विशेषज्ञ हैं ने अपने कथन में बताया है कि उनके द्वारा दिनांक 26.06.11 को कमलसिंह का मेडिकल परीक्षण किया गया था जिसकी रिपोर्ट प्रपी 02 है और उक्त रिपोर्ट के अनुसार कमलसिंह को साधारण प्रकृति की चोटें आई थीं। उक्त साक्षी के अनुसार उक्त दिनांक को ही उनके द्वारा आज धनसिंह का मेडिकल परीक्षण किया गया था जिसकी रिपोर्ट प्रपी 03 है और उक्त रिपोर्ट के अनुसार आहत के शरीर पर छः चोट आई थीं जिसमें से चोट क्रमांक 01 में आहत का दांत नहीं पाया था।

09— अ.सा. 04 नरेंद्र सिंह रघुवंशी द्वारा प्रकरण में अदम चेक रिपोर्ट के आधार पर प्रपी 04 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करना बताया है। अ.सा. 07 जो कि मामले का विवेचक है ने अपने कथन में बताया है कि उसके द्वारा प्रकरण में नक्शामौका प्रपी 07 तैयार किया गया था तथा साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए थे। उक्त साक्षी के अनुसार प्रपी 01 की अदम चेक रिपोर्ट आरक्षक राजेंद्र शर्मा द्वारा लेखबद्ध की गई थी।

10— अभियोजन द्वारा अभिलेख पर उपरोक्त साक्षीगण की साक्ष्य प्रस्तुत की गई है। उपरोक्त साक्षीगण में से अ.सा. 01 जो कि मामले का फरियादी है तथा अ.सा. 02 जो कि प्रकरण का आहत है ने अपने कथनों में स्पष्ट रूप से बताया है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपीगण द्वारा धनसिंह के साथ मारपीट की गई थी तथा उक्त मारपीट में धनसिंह का दांत टूट गया था। अ.सा. 02 कमल सिंह ने अपने कथनों में बताया है कि उसे दांतों से काटा गया था। अ.सा. 03 जो कि एक मेडिकल विशेषज्ञ हैं ने अपने कथनों में स्पष्ट रूप से बताया है कि आहत धनसिंह का दांत टूटा हुआ था तथा आहत कमलसिंह को आई चोट मानव दांतों से आना प्रकट हो रही थी। उल्लेखनीय है कि अ.सा. 03 ने अपने कथनों में यह भी बताया है कि आहत धनसिंह को उक्त घटना दिनांक को अन्य चोटें भी आई थीं। इस प्रकार अ.सा. 01 की साक्ष्य का अनुसमर्थन अ.सा. 02 की साक्ष्य से हो रहा है और साथ ही अ.सा. 01 एवं अ.सा. 02 की साक्ष्य की संपुष्टि अ.सा. 03 की साक्ष्य से हो रही है। अ.सा. 06 भी अ.सा. 01 की साक्ष्य का अनुसमर्थन कर रहा है। उल्लेखनीय है कि अभियोजन साक्ष्य में ऐसा कोई विरोधाभास अभिलेख पर नहीं आया है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष दिया जा सके कि अभियोजन द्वारा प्रकरण में झूठा मामला प्रस्तुत किया गया है। आरोपीगण की ओर से ऐसी कोई बचाव साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष दिया जा सके कि आरोपीगण को मामले में झूठा फंसाया गया है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपीगण द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी धनसिंह के साथ मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की गई तथा फरियादी धनसिंह का दांत तोड़कर उसे घोर उपहति कारित की गई एवं

आहत कमलसिंह को दांतों से काटकर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की गई।

11— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में सफल रहा है। परिणामतः आरोपीगण को भादवि की धारा 323/34, 324/34, 325/34 सिद्धदोष पाते हुए दोषसिद्ध किया जाता है।

12— आरोपीगण को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। आरोपीगण एवं उनके अधिवक्ता को दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थगित किया गया।

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चन्देरी जिला-अशोकनगर

पुनश्च:-

13— आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री अंशुल श्रीवास्तव का निवेदन है कि उक्त अपराध आरोपीगण का प्रथम अपराध है और उनका कोई पूर्व आपराधिक रिकार्ड नहीं है। अतः उनका निवेदन है कि आरोपीगण को परिवीक्षा का लाभ देकर छोड़ दिया जावे। प्रकरण में स्पष्ट है कि आरोपीगण द्वारा उक्त अपराध कारित किया गया है तथा प्रकरण में फरियादी का दांत भी टूटा है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण गंभीर प्रकृति का है। अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए यदि आरोपीगण को परिवीक्षा का लाभ दिया जाता है तो उसका गलत संदेश समाज में जाने की संभावना है। अतः ऐसी स्थिति में आरोपीगण को परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 एवं 4 का लाभ दिया जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता।

14— जहां तक दण्ड का प्रश्न है तो निश्चित रूप से आरोपीगण को ऐसे दंडादेश से दंडित करना उचित होगा जो कि उन्हें भविष्य में ऐसे अपराध से रोके और साथ ही उनके लिए शिक्षाप्रद हो। आरोपीगण को ऐसे दण्डादेश से दंडित करना उचित होगा जो कि उन्हें न केवल विधिक प्रक्रिया के प्रति गंभीर करे, बल्कि उन्हें यह भी बोध हो कि यदि किसी के द्वारा हिंसा कारित की जाती है तो तो ऐसी दशा में उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में आरोपीगण को भा.द. वि. की धारा 323/34 के अपराध में एक-एक माह के साधारण कारावास एवं 500-500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिक्रम में आरोपीगण तीन-तीन दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेंगे। आरोपीगण को भा.द.वि. की धारा 324/34 के अपराध में तीन-तीन माह के साधारण कारावास एवं 500-500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिक्रम में आरोपीगण सात-सात दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेंगे। आरोपीगण को भा.द.वि. की धारा 325/34 के अपराध में छः-छः माह के साधारण कारावास एवं 500-500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिक्रम में आरोपीगण पंद्रह-पंद्रह दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेंगे। उक्त तीनों दंडादेश एक साथ भुगताए जाएंगे। प्रकरण में अभियोजन की ओर से क्षतिपूर्ति के संबंध में कोई तर्क नहीं किया गया और अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य भी नहीं आई है, जिससे कि फरियादी को क्षतिपूर्ति दिलाया जाना समीचीन प्रतीत होता हो।

15— आरोपीगण के जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

16— प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति कुछ नहीं है।

17— आरोपीगण अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

18— आरोपीगण का सजा वारंट तैयार किया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)